संख्या-82/2016/2128/71-2-16-पी-21/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 जून, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में सेन्टर हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद "26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/बजट 2016-17/2993 दिनांक 13 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सेन्टर हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद "26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु संलग्नक में उल्लिखित उपकरण/संयंत्र की सूची अनुमोदित करते हुए प्राविधानित धनराशि रू0 3,00,00,000/- (रूपया तीन करोड मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।
3) संस्थान द्वारा प्रस्तावित उपकरणों का क्रय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।
4) निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियाँ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
5) रू0 50.00 लाख के ऊपर अनुमानित क्रय मूल्य के समस्त उपकरणों हेतु निविदा निर्गत करने से पूर्व 'प्री-बिड कान्फ्रेस' अनिवार्य रूप से आयोजित की जाय तथा उपकरण की निविदा विशिष्टिताएं ऐसी कमेटी से निर्धारित की जाये जिसमें कम से कम एक वाह्य विशेषज्ञ अनिवार्य होगा।
6) सामान्य परिस्थितियों में किसी भी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार सूची संशोधित नहीं की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर मात्र आवश्यक उपकरणों की अनुपूरक सूची शासन द्वारा अनुमोदित की जायेगी।
7) विगत वित्तीय वर्ष में अनुमोदित उपकरणों की सूची आगामी वित्तीय वर्ष में स्वतः अनुमोदित नहीं होगी।
8) संस्था द्वारा क्रय समिति की बैठक 28 फरवरी तथा उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक 31 जनवरी के पश्चात नहीं आयोजित की जायेगी एवं अनुमोदित उपकरणों की सूची के सापेक्ष आवश्यक निविदायें किसी भी दशा में 31 दिसम्बर के बाद विज्ञापित नहीं किया जायेगा।
9) किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गयी निविदा प्रक्रिया यदि आगामी वित्तीय वर्ष में सम्पन्न होते हुए क्रय की स्थिति में आती है तो उसे आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में से क्रय तब अनुमन्य की जा सकती है जब उक्त उपकरण उसे वित्तीय वर्ष में भी अनुमोदित किया गया हो।
10) संस्थान स्तर पर 05 नग से अधिक उपकरण दर अनुबन्ध के आधार पर खरीदे जाय। ऐसे दर अनुबन्ध निविदा प्रक्रिया के माध्यम निर्धारित किये जायेगें तथा तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगें। इस अवधि में दूसरे संस्थान/रा0मे0का0 द्वारा इन दरों पर बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए क्रय किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11) दर अनुबन्ध हेतु प्रस्तावित उपकरणों की मात्रा शासन द्वारा अनुमोदित की जायेगी। प्रभावी तीन वर्ष की अवधि में उक्त मात्रा प्रत्येक वर्ष समस्त संस्थानों/मेडिकल कालेजों को क्रय हेतु अनुमन्य होगी।

12) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना आवेदक विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

13) उपकरणों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा पूर्ण कर ली जाये।

14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, उपकरणों का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले शासनादेशों एवं प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

15) क्रय किये जाने वाले उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति किये गये उपकरण उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) के हैं तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति हो रही है तथा जॉच में भी उपकरण उपयुक्त पाये गये हैं। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।

16) संस्थान द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17) संस्था वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

18) उपकरणों की सूची में से यदि किसी उपकरण के क्रय में बचत होती है तथा अन्य उपकरण के क्रय में अधिक व्यय होता है, तो उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि का समायोजन निदेशक/वित्त नियंत्रक के अनुमोदन से कर लेगें। परन्तु यदि सूची में उल्लिखित समस्त उपकरणों के क्रय के पश्चात कोई बचत होती है, तो उक्त बचत से अन्य उपकरणों का क्रय शासन की अनुमति के पश्चात ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में बचत की धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु अलग से कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

19) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। उपकरणों की विशिष्टिता, मानक एवं गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

20) किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

21) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

22) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-07-सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र''के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 82/2015/2128(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।